राज्य विधान मंडलों की महिला विधायकों के लिए संसद में प्राइड द्वारा आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष का संबोधन

भारत के सभी प्रदेशों के विधान मंडलों से आज संसद परिसर में आए सभी महिला जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि लोक सभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान(प्राइड) द्वारा आयोजित यह प्रबोधन कार्यक्रम आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे राष्ट्रीय लोकतंत्र के विविध पहलुओं को गहराई से जानेंगे, और अलग – अलग प्रदेशों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को समझेंगे।

हमारा यह संसद भवन भारत के लोकतंत्र का आस्था स्थल है। लगभग 75 वर्षों पहले इसी संसद परिसर में हमारे संविधान का निर्माण हुआ था।

बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान राष्ट्र नायकों की तरह ही हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, लीला रॉय जैसी 15 विद्वान महिलाएं हमारी संविधान सभा का हिस्सा थीं।

संविधान सभा में हमारी महिला नेताओं ने अनेक विषयों पर अपने सुझाव दिए, सकारात्मक विचार व्यक्त किए। जिसके चलते हमारा संविधान विश्व का सर्वोत्कृष्ट संविधान बना।

आज 9 अगस्त का दिन हमारे इतिहास में विशेष महत्व रखता है। आज के दिन वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की थी।

अगले सप्ताह 15 अगस्त के दिन सम्पूर्ण राष्ट्र अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है।

इस अवसर पर मैं उन महिलाओं का भी स्मरण करता हूँ, जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, फिर चाहे वह 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, स्वदेशी आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो

या भारत छोड़ो आंदोलन हो; हर एक महत्वपूर्ण क्षण में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी।

राष्ट्र की स्वतंत्रता से लेकर राष्ट्र के निर्माण और विकास में महिलाओं की भूमिका अमिट रही। मैं राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उदाहरण देने लगूं, तो भी उन नामों का उल्लेख कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। भारत के इतिहास में ऐसी अनेक महिलाओं के नाम हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं।

माननीय सदस्यों, अमेरिका और यूरोप के कई विकसित देशों में उनकी आजादी के बाद भी वहाँ महिलाओं को मतदान का अधिकार तक नहीं था। कई दशकों तक महिलाओं ने वोटिंग राइट के लिए संघर्ष किया।

लेकिन जब हम भारत को देखते हैं, तो आजादी के साथ ही हमारे संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को बराबर का मताधिकार दिया।

जब हम महिलाओं और राजनीति पर बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। राजनीति हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर फैसले लेती है। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा आदि सभी विषय राजनीति में अंतर्निहित होते हैं। इसलिए यदि हमारे समाज की आधी आबादी यानि महिलाएं उन फैसलों में शामिल नहीं हैं, तो यह समाज के हित में नहीं हो सकता।

लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें आधी आबादी का अच्छा प्रतिनिधित्व न हो या वह लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग न ले। एक बेहतर लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जहां महिलाओं को न केवल चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार है, बल्कि निर्वाचित होने का अधिकार भी है।

आपके माध्यम से मैं देश भर की महिलाओं को कहना चाहूँगा कि अगर आप समाज के लिए सोचती हैं, समाज का उत्थान करना चाहती हैं, तो आप समाज के भले के लिए राजनीति को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं।

महिलाओं में एक अलग किस्म की शक्ति होती है। बहुत सारे ऐसे कार्य, जिनको करने के लिए संवेदनाओं की जरूरत पड़ती है, महिलाएं उनमें अच्छी भूमिका निभाती हैं।

महिलाएं समाज के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई होती हैं और वे समाज की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाती हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं जो सीधे तौर पर महिलाओं और समाज पर प्रभाव डालती हैं, उनमें नीतियों के निर्धारण में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्वास्थ्य, कुपोषण, संचार और समाज कल्याण जैसे कई मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर महिला नेताओं ने उल्लेखनीय काम किया है।

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का कहना था कि 'मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है।'

कई साल पहले हमारे समाज में अधिकतर लोग बालिकाओं को पढ़ाने की सोचते भी नहीं थे। देश की आजादी से पहले हमारे देश में राजा राममोहन राय जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, सावित्री बाई फूले जी, बाबा साहब अंबेडकर जी जैसे अनेक राष्ट्र नायकों ने आगे बढ़कर संघर्ष किया। उनके प्रयासों से समाज में चेतना आई, और बालिकाएं पढ़ने लगीं।

आज स्थिति यह है कि देश में हर क्षेत्र में महिलाओं की सिर्फ भागीदारी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि महिलाएं आगे आकर नेतृत्व भी कर रहीं हैं। अब हम वीमेन डेवलपमेंट से वीमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही है। हेल्थ सेक्टर में आंगनबाड़ी से देश के गाँव गाँव को सशक्त बनाना हो या मंगल पर मिशन भेजना, ट्रेन चलाना हो या फाइटर प्लेन उड़ाना हो, आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं।

हमारे देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 75 वर्षों में हमने अनेक अचीवमेन्ट्स हासिल की है। इनमें मेरा मानना है कि महिलाओं और बालिकाओं ने जिस तरह से समाज में प्रगति की है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

आजादी के समय हमारी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, वहीं आज करीब 115 महिलाएं देश की संसद में प्रतिनिधित्व कर रहीं हैं।

भारत के संविधान ने सदा महिलाओं को ताकत दी है। देश में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, न्याय का अधिकार दिया। समय समय पर भारत की संसद ने भी अधिनियम बनाते हुए महिलाओं की तरक्की और सुरक्षा के लिए सकारात्मक प्रावधान तैयार किए।

भारत की संसद ने अधिनियम बनाकर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। इससे महिलाओं के लिए समानता और न्याय अधिक सुविधाजनक हुआ।

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन से पंचायती राज और नगर निकायों का संवैधानिकरण किया गया है। इसी के साथ लोकतंत्र के जमीनी स्तर में महिलाओं को 33प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई।

इसी का परिणाम है कि आज देश में करीब 14लाख महिलाएं सीधे तौर पर लोकतंत्र में प्रतिनिधि बनी हैं। (14 लाख महिलाएं ग्राम पंचायत और शहरी नगर निकायों की सदस्य हैं।

एम बी ए पास महिलाएं सरपंच बन रही हैं, विधायक चुनी जा रही हैं। एमबीबीएस कर डॉक्टर बनी महिलाएं आज आईएएस बन रही हैं।

आज जब देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं, तो हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आज महिलाएं घर के साथ देश का फायनान्सियल मैनेजमेंट भी संभाल रही हैं।

आज महिलाएं सिर्फ घर की मुखिया ही नहीं हैं, बल्कि भारत की प्रथम नागरिक यानि भारत की राष्ट्रपति और हमारी तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी महिला है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में अपने पद पर एक वर्ष पूर्ण किया है। वो देश की पहली जनजातीय महिला हैं, जो शीर्ष पद पर पहुंची हैं। ओडिशा के एक छोटे से गांव बैदापोसी से निकलकर दिल्ली के रायसीना हिल्स के शिखर तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था।

इस यात्रा में उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन के सफर में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका जीवन आज देश में सभी के लिए प्रेरणा है।

राजनीति से लेकर अर्थनीति तक महिलाओं की भूमिका परिवर्तनकारी साबित हो रही है। कृषि क्षेत्र में अन्न उत्पादन करके, सहकारिता में, एमएसएमई में और गाँवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करके महिलाएं देश के विकास को दिशा दे रही हैं।

आज देश में हर दिन जो स्टार्ट अप्स रजिस्टर हो रहे हैं, उनमें बहुत से स्टार्ट अप्स का नेतृत्व युवा महिलाएं कर रहीं हैं। भारत में लगभग 15 प्रतिशत यूनिकॉर्न स्टार्ट अप्स में कम से कम एक महिला संस्थापक है और महिलाओं के नेतृत्व वाली इन यूनिकॉर्न कंपनियों का संयुक्त मूल्य 40 अरब डॉलर से अधिक है। इस साल को पूरा विश्व इन्टरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मना रही है।

हमारे देश में कृषि कार्य में महिलाएं जिस तरह से सक्रिय हैं। महिलाओं के योगदान के कारण ही आज भारत मिलेट्स उत्पादन में विश्व में अग्रणी है।

जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास को बढ़ावा देता है और शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को आगे बढ़ाती है।

महिलाओं का नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाज सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती है।

महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला - केंद्रित विकास दृष्टिकोण के माध्यम से है और भारत इस दिशा में असीम प्रगति कर रहा है।

माननीय सदस्यों, हमारी संसद और राज्य विधान मंडल जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। विधायिका का प्रभावी कार्यकरण इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य जनप्रतिनिधि के रूप में अपने विधायी दायित्वों को कितनी कुशलता से निभाता है।

जनप्रतिनिधि होना वास्तव में सौभाग्य और सम्मान की बात है। लेकिन यह एक विशेषाधिकार होने के साथ एक दायित्व भी है। एक जनप्रतिनिधि का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व जनता के सरोकारों को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

संसद की श्रेष्ठ परंपराओं को कायम रखने और संसदीय लोकतंत्र का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए जनप्रतिनिधि द्वारा संसद के भीतर और बाहर उचित आचरण बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है।

सदस्यों का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे विधायिका की गरिमा बढ़े। इसके लिए हम आवश्यक है कि हम सदन की श्रेष्ठ परंपराओं और नियमों का पालन करें।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि सभा में नियमित रूप से उपस्थित रहें। सभा की कार्यवाही में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और सभा के वरिष्ठ सदस्यों से सीखें। सदन में या संसदीय समितियों में, जब भी आप चर्चा में भाग लें, आप अपनी बात सटीक और संक्षिप्त रूप में करें।

सदस्य को सभा में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। आप सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में अपनी सार्थक इनपुट दे सकती हैं। आपके इनपुट से जो योजनाएं बनेंगी, वे निश्चित रूप से अधिक प्रभावी होंगी।

माननीय सदस्यों, जनप्रतिनिधि बनकर आपने अपने जीवन में तो बदलाव लाया ही है, लेकिन अपनी भूमिका से इस समाज और देश में सकारात्मक बदलाव भी आपको ही करना है।

हमारे लिए आजादी के इन 75 वर्षों की यात्रा गौरवशाली रही है। अब अगले 25 वर्षों के अंदर हमने यदि महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक के साथ साथ उनकी सोच व चिंतन को अगर हमने बढ़ा दिया, तो दुनिया के अंदर हमारा देश महिलाओं के नेतृत्व के कारण सबसे अग्रिम पंक्ति का देश होगा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होगी।

इसी संदेश के साथ आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।